न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 28/2016

वादीगण :–

1. श्याम पुत्र स्व. रूघाराम
2. भंवरी देवी पत्नी स्व किशोर
3. अजय पुत्र स्व किशार
4. कालू पुत्र स्व किशोर
5. उषा पुत्री स्व किशोर
6. मिली उर्फ लीलू पुत्र स्व किशोर
7. किरण उर्फ माया पुत्री स्व किशोर
8. विजय पुत्र स्व श्रवण
9. विशाल पुत्र स्व श्रवण

तमाम जाति मेघवाल निवासी मकराना तहसील मकराना जिला नागौर (राज.)

प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार मकराना (लैण्ड होल्डर) मकराना

वकील वादी – श्री राजूराम चौधरी उपस्थित

दावा बाबत अधिकारों की घोषणा, नाम शुद्धिकरण, रेकर्ड दुरूस्तीकरण

निर्णय

वाद वादी संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मकराना के खसरा नं. 805/771 में कुल रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के 1/2 हिस्सा व वादीगण के पिता व दादा के नाम 1/2 हिस्सा था बाद में उक्त खसरा को अलग अलग किया गया व खसरा संख्या 809/771 को अलग किया जिसमें कुल रकबा 17.12 बीघा जिसमे से 1/2 हिस्सा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा संख्या 809/771 कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा हीरा रामू भैरूराम का है एवं 1/2 हिस्सा वादीगणों के पिता व दादा का था खातेदारी में सहवन से वादीगणों के पिता व दादा का नाम दुर्गा राम पुत्र मांगूराम लिख दिया गया था जबकि सही नाम रूघाराम पुत्र मांगूराम ही है। इस नाम से जाना जाता था लेकिन राजस्व रेकर्ड में दुर्गाराम पुत्र मांगूराम ही रह गया था। खसरा संख्या 809/771 के रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा के 1/2 हिस्से के बाई बर्थ वादीगणों को हक व हिस्सा मिल गया था जो अपनी उपरोक्त आराजी भूमि पर कब्जा काश्त करते आए है रूघा राम पुत्र गांगूराम की मृत्यु हो गई थी जिसका तमाम किया क्रम वादीगणों स्व. रूघाराम के वारिसान के समय से ही कब्जा काश्त करते आऐ है। स्व. रूघाराम के तीन पुत्र जायन्दा संताने श्री श्रवण राम किशोर व श्याम जिसमें से श्याम ही जीवीत है जो वादी संख्या 1 व किशोर भी फोत हो चुका था जिसके वारिशान वादी संख्या 2 से 7 व श्रवण के वारिशान वादी संख्या 8 व 9 है। लेकिन इनका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत नही हो सका क्योकि खातेदारी भूमि में दुर्गा राम पुत्र मांगूराम था इसलिए हल्का पटवारी नामान्तरण करने से मना कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

वादीगण सभी अशिक्षित व्यक्ति है जो राजस्व रेकार्ड में पहले अपने दादा व पिता का नाम दुरूस्त नहीं करवाने के कारण वादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा व वादीगणों को जब मालूम चला कि अपने दादा व पिता की उक्त खसरात की भूमि में नामान्तरण करवाया है वरना अपनी खातेदारी भूमि से महरूम होना पडेगा तब जाकर वादीगणो ने अपने दादा व पिता रूघाराम पुत्र मांगूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया व सामाजिक रिती रिवाज अनुसार जो समाज के भाट होते है उनसे अपने समाज का पुश्तैनी नाम बही प्राप्त किया जाकर अब रास्जस्व रेकार्ड में अपना दादा व पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। मौजा मकराना के खसरा संख्या 809/771 के 1/2 हिस्से के रूघाराम पुत्र मांगूराम जिनका राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दुर्गाराम पुत्र मांगूराम व खातेदारी में दर्ज हो रखा है जिनकी मृत्यु के बाद से ही वादीगणों के हक व हिस्से में आ गई जिस पर एक मात्र वादीगणों का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें किसी का भी कोई दखल उज नही है। अतः मौजा मकराना के खसरा संख्या 809/771 के कुल रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा के 1/2 हिस्से पर दुर्गा राम पुत्र मांगूराम का नाम खातेदारी में दर्ज है। उसे दुरूस्त किया जाकर रूघाराम पुत्र मांगूराम का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाने के आदेश प्रदान करावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मकराना द्वारा पत्रांक भूअ/कोर्ट/2023/2057 दिनांक 21.08.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर अवगत कराया गया कि ग्राम मकराना के खसरा नं. 809/771 रकबा 2.8490 हैक्ट. किस्म बारानीII दुर्गाराम पुत्र मांगूराम हिस्सा 1/2 व भैरूराम रामूराम हीराराम पि. बलदेवराम हिस्सा 1/2 दर्ज है। मौके पर जांच की गयी उपस्थित ग्रामवासियो व पडोसियो व सहखातेदार भैरूराम पि. बलदेवराम के बताए अनुसार दुर्गाराम का सही नाम रूघाराम है तथा दुर्गाराम व रूघाराम एक ही व्यक्ति है। प्रकरण में प्रथम मिसल बन्दोबस्त में ही दुर्गाराम पुत्र मांगूराम का नाम दर्ज है। अतः प्रकरण में दुर्गाराम पुत्र मांगूराम के स्थान पपर दुर्गाराम उर्फ रूघाराम पुत्र मांगूराम के नाम की शुद्वी की जानी प्रस्तावित है। प्रकरण में कोई राजहित नही है। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2070–73 जमाबन्दी खसरा संख्या 809/771, मृत्यु प्रमाण पत्र रूघाराम वगैरह पेश किया जो शा.मि. किया गया। वकील वादी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एंव तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट का आद्योपन्त अध्ययन एवं मनन किया। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2023 अनुसार दुर्गाराम का सही नाम रूघाराम है तथा दुर्गाराम व रूघाराम एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार मकराना द्वारा भी उक्त शुद्वि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा मकराना के खसरा संख्या 809/771 में दर्ज दुर्गाराम पुत्र मांगूराम हिस्सा 1/2 के स्थान पर दुर्गाराम उर्फ रूघा राम पुत्र मांगू राम हिस्सा 1/2 अंकित किया जाता है। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

9/9/23

उपखण्ड अधिकारी
मकराना